

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 1064/2024

अनवान : -

1. गोपीसिंह पुत्र बगासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
- वादी

बनाम्

1. अजायब सिंह पुत्र बगासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
2. नायब सिंह पुत्र बगासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
3. दर्शन सिंह पुत्र बगासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
4. मेजर सिंह पुत्र बगासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
5. परमजीत कौर पुत्री चानणसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
6. बलजिन्द्र सिंह पुत्र चानणसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
7. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र चानणसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
8. मुक्त्यार कौर पत्नी बागासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण


दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 25/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 167/162 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 4.5540 है० भूमि व खाता संख्या 153/151 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.7590 है० भूमि व खाता संख्या 43/45 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है० भूमि व खाता संख्या 197/182 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6310 है० भूमि व खाता संख्या 61/61 के कुल खसरे 28 की कुल तादादी 5.5660 है० भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 113/45 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.1440 है० भूमि व खाता संख्या 36/27 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.4910 है० भूमि व खाता संख्या 35/26 के कुल खसरे 24 की कुल तादादी 4.0480 है० भूमि एवं रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 24/23 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 3.2890 है० भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर



वादी के पिता बगासिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वाद जायज वारिस गोपीसिंह, अजायबसिंह, नायब सिंह, दर्शन सिंह, मेजरसिंह व चानणसिंह हुए जिनमें चानणसिंह पुत्र बगासिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस परमजीत कौर (पुत्री), बलजिन्द्र सिंह (पुत्र) व गुरजिन्द्र सिंह (पुत्र) है जिसने वाद में प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 कायम किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 8 है। उपरोक्त भूमि वादी की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म जात हक हिस्सा है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 5 बी बाराणी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 167/162 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 4.5540 है० भूमि में से 2/18 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व 4/18 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ब० हि० ब० काबिज है व खाता संख्या 153/151 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.7590 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व खाता संख्या 43/45 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है० भूमि में से 5579/63250 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व 708/63250 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है व चक 5 बी बाराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 197/182 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6310 है० भूमि में से प० नं० 337/391 (152) के किला नं. 25/2 की 0.1130 है० भूमि व प० नं० 338/391 (151) के किला नं. 19 के मिन पूर्व की 0.1390 है०, 21 की 0.2530 है०, 22 की 0.2530 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है तथा प० नं० 337/391 (152) के किला नं. 16 की 0.2530 है०, 17 की 0.2530 है० व प० नं० 338/391 (151) के किला नं. 19 के मिन पश्चिम की 0.1140 है०, किला नं. 20 की 0.2530 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व खाता संख्या 61/61 के कुल खसरे 28 की कुल तादादी 5.5660 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 113/45 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.1440 है० भूमि में से प० नं० 331/393 (37) के किला नं. 5/3 की 0.0030 है०, 6/2 की 0.0030 है० व प० नं० 332/392 (21) किला नं. 21/2 की 0.2400 है०, 22/1 0.2410 है० व प० नं० 332/393 (38) किला नं. 1, 2, 9, 10 की 1.012 है० व प० नं० 333/392 (20) किला नं. 11, 19, 20 की 0.759 है०, 22/2 की 0.1270 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व प० नं० 332/392 (21) के किला नं. 12, 19, 20 की 0.759 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ब० हि० ब० काबिज है व खाता संख्या 36/27 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.4910 है० भूमि के प० नं० 330/394 (43) के किला नं. 16/1 की 0.2280 है० व प० नं० 331/394 (42) किला नं. 4, 5 की 0.506 है० भूमि पर वादी काबिज है व प० नं० 330/394 (43) किला नं. 17 की 0.2530 है०, 24/1 की 0.0060 है० मु० रास्ता, 24/2 की 0.247 है०, 25/2 की 0.2200 है०, 25/3 की 0.0070 है० मु० रास्ता प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व प० नं० 331/393 (37) के किला नं. 8, 9, 12, 13 की 1.012 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व प० नं० 331/393 (37) के किला नं. 16, 17, 24, 25 की 1.012



अपक्ष अधिकारी
नोहर

है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है व खाता संख्या 35/26 के कुल खसरे 24 की कुल तादादी 4.0480 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ब० हि० ब० काबिज है एवं रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 24/23 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 3.2890 है० भूमि में से प० नं० 322/387 (54) के किला नं. 13, 14, 18, 19, 20 की 1.265 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व प० नं० 322/387 (54) के किला नं. 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 की 2.024 है० पर वादी काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण मुख्यारकौर, गुरमैलकौर, चानणसिंह, सदस्य प्रमाण पत्र मुख्यारकौर पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वादी के पिता बगासिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वाद जायज वारिस गोपीसिंह, अजायबसिंह, नायब सिंह, दर्शन सिंह, मेजरसिंह व चानणसिंह हुए जिनमें चानणसिंह पुत्र बगासिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस परमजीत कौर (पुत्री), बलजिन्द्र सिंह (पुत्र) व गुरजिन्द्र सिंह (पुत्र) है जिसने वाद में प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 कायम किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 8 जो की बागासिंह की पत्नी है। उपरोक्त भूमि वादी की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म जात हक हिस्सा है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 167/162 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 4.5540 है० भूमि में से 2/18 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व 4/18 हिस्सा

भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ब० हि० ब० काबिज है व खाता संख्या 153/151 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.7590 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व खाता संख्या 43/45 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है० भूमि में से 5579/63250 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व 708/6325 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है व चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 197/182 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6310 है० भूमि में से प० नं० 337/391 (152) के किला नं. 25/2 की 0.1130 है० भूमि व प० नं० 338/391 (151) के किला नं. 19 के मिन पूर्व की 0.1390 है०, 21 की 0.2530 है०, 22 की 0.2530 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है तथा प० नं० 337/391 (152) के किला नं. 16 की 0.2530 है०, 17 की 0.2530 है० व प० नं० 338/391 (151) के किला नं. 19 के मिन पश्चिम की 0.1140 है०, किला नं. 20 की 0.2530 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व खाता संख्या 61/61 के कुल खसरे 28 की कुल तादादी 5.5660 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 113/45 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.1440 है० भूमि में से प० नं० 331/393 (37) के किला नं. 5/3 की 0.0030 है०, 6/2 की 0.0030 है० व प० नं० 332/392 (21) किला नं. 21/2 की 0.2400 है०, 22/1 0.2410 है० व प० नं० 332/393 (38) किला नं. 1, 2, 9, 10 की 1.012 है० व प० नं० 333/392 (20) किला नं. 11, 19, 20 की 0.759 है०, 22/2 की 0.1270 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व प० नं० 332/392 (21) के किला नं. 12, 19, 20 की 0.759 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ब० हि० ब० काबिज है व खाता संख्या 36/27 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.4910 है० भूमि के प० नं० 330/394 (43) के किला नं. 16/1 की 0.2280 है० व प० नं० 331/394 (42) किला नं. 4, 5 की 0.506 है० भूमि पर वादी काबिज है व प० नं० 330/394 (43) किला नं. 17 की 0.2530 है०, 24/1 की 0.0060 गै० मु० रास्ता, 24/2 की 0.247 है०, 25/2 की 0.2200 है०, 25/3 की 0.0070 गै० मु० रास्ता प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व प० नं० 331/393 (37) के किला नं. 8, 9, 12, 13 की 1.012 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व प० नं० 331/393 (37) के किला नं. 16, 17, 24, 25 की 1.012 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है व खाता संख्या 35/26 के कुल खसरे 24 की कुल तादादी 4.0480 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ब० हि० ब० काबिज है एवं रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 24/23 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 3.2890 है० भूमि में से प० नं० 322/387 (54) के किला नं. 13, 14, 18, 19, 20 की 1.265 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व प० नं० 322/387 (54) के किला नं. 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 की 2.024 है० पर वादी काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


 अध्यक्ष अधिकारी
 नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 167/162 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 4.5540 है० भूमि व खाता संख्या 153/151 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.7590 है० भूमि व खाता संख्या 43/45 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है० भूमि व खाता संख्या 197/182 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6310 है० भूमि व खाता संख्या 61/61 के कुल खसरे 28 की कुल तादादी 5.5660 है० भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 113/45 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.1440 है० भूमि व खाता संख्या 36/27 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.4910 है० भूमि व खाता संख्या 35/26 के कुल खसरे 24 की कुल तादादी 4.0480 है० भूमि एवं रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 24/23 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 3.2890 है० भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी के पिता बगासिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वाद जायज वारिस गोपीसिंह, अजायबसिंह, नायब सिंह, दर्शन सिंह, मेजरसिंह व चानणसिंह हुए जिनमें चानणसिंह पुत्र बगासिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस परमजीत कौर (पुत्री), बलजिन्द्र सिंह (पुत्र) व गुरजिन्द्र सिंह (पुत्र) है जिसने वाद में प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 कायम किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 8 जो की बागासिंह की पत्नी है। उपरोक्त भूमि वादी की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म जात हक हिस्सा है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 167/162 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 4.5540 है० भूमि में से 2/18 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व 4/18 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ब० हि० ब० काबिज है व खाता संख्या 153/151 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.7590 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व खाता संख्या 43/45 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है० भूमि में से 5579/63250 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व 708/6325 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है व चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 197/182 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6310 है० भूमि में से प० नं० 337/391 (152) के किला नं. 25/2 की 0.1130 है० भूमि व प० नं० 338/391 (151) के किला नं. 19 के मिन पूर्व की 0.1390 है०, 21 की 0.2530 है०, 22 की 0.2530 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है तथा प० नं० 337/391 (152) के किला नं. 16 की 0.2530 है०, 17 की 0.2530 है० व प० नं० 338/391 (151) के किला नं. 19 के मिन पश्चिम की 0.1140 है०,

किला नं. 20 की 0.2530 है 0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व खाता संख्या 61/61 के कुल खसरे 28 की कुल तादादी 5.5660 है 0 भूमि में से 1/5 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 113/45 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.1440 है 0 भूमि में से प 0 नं 331/393 (37) के किला नं. 5/3 की 0.0030 है 0, 6/2 की 0.0030 है 0 व प 0 नं 332/392 (21) किला नं. 21/2 की 0.2400 है 0, 22/1 0.2410 है 0 व प 0 नं 332/393 (38) किला नं. 1, 2, 9, 10 की 1.012 है 0 व प 0 नं 333/392 (20) किला नं, 11, 19, 20 की 0.759 है 0, 22/2 की 0.1270 है 0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व प 0 नं 332/392 (21) के किला नं. 12, 19, 20 की 0.759 है 0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ब 0 हि 0 ब 0 काबिज है व खाता संख्या 36/27 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.4910 है 0 भूमि के प 0 नं 330/394 (43) के किला नं. 16/1 की 0.2280 है 0 व प 0 नं 331/394 (42) किला नं. 4, 5 की 0.506 है 0 भूमि पर वादी काबिज है व प 0 नं 330/394 (43) किला नं. 17 की 0.2530 है 0, 24/1 की 0.0060 गै 0 मु 0 रास्ता, 24/2 की 0.247 है 0, 25/2 की 0.2200 है 0, 25/3 की 0.0070 गै 0 मु 0 रास्ता प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व प 0 नं 331/393 (37) के किला नं. 8, 9, 12, 13 की 1.012 है 0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व प 0 नं 331/393 (37) के किला नं. 16, 17, 24, 25 की 1.012 है 0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है व खाता संख्या 35/26 के कुल खसरे 24 की कुल तादादी 4.0480 है 0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ब 0 हि 0 ब 0 काबिज है एवं रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 24/23 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 3.2890 है 0 भूमि में से प 0 नं 322/387 (54) के किला नं. 13, 14, 18, 19, 20 की 1.265 है 0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व प 0 नं 322/387 (54) के किला नं. 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 की 2.024 है 0 पर वादी काबिज, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार मृतक मुख्यारकौर व गुरमैल कौर व चानण सिंह के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।


अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 बी बाराणी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 167/162 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 4.5540 है 0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 व मृतक चानणसिंह पुत्र बगासिंह का नाम कलमजन किया जाकर 2/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 4/18 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को ब 0 हि 0 ब 0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 153/151 के कुल

खसरे 4 की कुल तादादी 0.7590 है० भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व मृतक चानणसिंह पुत्र बगासिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 43/45 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है० भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 व मृतक चानणसिंह पुत्र बगासिंह का नाम कलमजन किया जाकर 5579/63250 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 708/6325 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक 5 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 197/182 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6310 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 337/391 (152) के किला नं. 25/2 की 0.1130 है० भूमि व प० नं० 338/391 (151) के किला नं. 19 के मिन पूर्व की 0.1390 है०, 21 की 0.2530 है०, 22 की 0.2530 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प० नं० 337/391 (152) के किला नं. 16 की 0.2530 है०, 17 की 0.2530 है० व प० नं० 338/391 (151) के किला नं. 19 के मिन पश्चिम की 0.1140 है०, किला नं. 20 की 0.2530 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 61/61 के कुल खसरे 28 की कुल तादादी 5.5660 है० भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, एवं मृतक चानणसिंह पुत्र बगासिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 113/45 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.1440 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 331/393 (37) के किला नं. 5/3 की 0.0030 है०, 6/2 की 0.0030 है० व प० नं० 332/392 (21) किला नं. 21/2 की 0.2400 है०, 22/1 0.2410 है० व प० नं० 332/393 (38) किला नं. 1, 2, 9, 10 की 1.012 है० व प० नं० 333/392 (20) किला नं. 11, 19, 20 की 0.759 है०, 22/2 की 0.1270 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प० नं० 332/392 (21) के किला नं. 12, 19, 20 की 0.759 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम ब० हि० ब० दर्ज किया जावे व खाता संख्या 36/27 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.4910 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 एवं मृतक चानणसिंह पुत्र बगासिंह का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 330/394 (43) के किला नं. 16/1 की 0.2280 है० व प० नं० 331/394 (42) किला नं. 4, 5 की 0.506 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प० नं० 330/394 (43) किला नं. 17 की 0.2530 है०, 24/1 की 0.0060 है० मु० रास्ता, 24/2 की 0.247 है० 25/2 की 0.2200 है०, 25/3 की 0.0070 है० मु० रास्ता प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प० नं० 331/393 (37) के किला नं. 8, 9, 12, 13 की 1.012 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जावे व प० नं० 331/393 (37) के किला नं. 16, 17, 24, 25 की 1.012 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 35/26 के कुल खसरे 24 की कुल तादादी 4.0480 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

ॐ

व मृतक चानणसिंह पुत्र बगासिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 24/23 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 3.2890 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2, 4 एवं मृतक चानणसिंह पुत्र बग्घासिंह का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 322/387 (54) के किला नं. 13, 14, 18, 19, 20 की 1.265 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज किया जावे व प0 नं0 322/387 (54) के किला नं. 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 की 2.024 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जावता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 1064/2024

अनवान : -

1. गोपीसिंह पुत्र बगासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
- वादी

बनाम्

1. अजायब सिंह पुत्र बगासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
2. नायब सिंह पुत्र बगासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
3. दर्शन सिंह पुत्र बगासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
4. मेजर सिंह पुत्र बगासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
5. परमजीत कौर पुत्री चानणसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
6. बलजिन्द्र सिंह पुत्र चानणसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
7. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र चानणसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
8. मुक्त्यार कौर पत्नी बागासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 1064 सन 2024 निर्णय दिनांक - 25/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 167/162 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 4.5540 है 0 भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 व मृतक चानणसिंह पुत्र बगासिंह का नाम कलमजन किया जाकर 2/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 4/18 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को 80 हि० 80 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 153/151 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.7590 है 0 भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व मृतक चानणसिंह पुत्र बगासिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 43/45 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है 0 भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 व मृतक चानणसिंह पुत्र बगासिंह का नाम कलमजन किया जाकर 5579/63250 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 708/6325 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक 5 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 197/182 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6310 है 0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 337/391 (152) के किला नं. 25/2 की 0.1130 है 0 भूमि व प० नं० 338/391 (151) के किला नं. 19 के मिन पूर्व की 0.1390 है 0, 21 की 0.2530 है 0, 22 की 0.2530 है 0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प० नं० 337/391 (152) के किला नं. 16 की 0.2530 है 0, 17 की 0.2530 है 0 व प० नं० 338/391 (151) के किला नं. 19 के मिन पश्चिम की 0.1140 है 0, किला नं. 20 की 0.2530 है 0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया



जाता है व खाता संख्या 61/61 के कुल खसरे 28 की कुल तादादी 5.5660 है० भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, एवं मृतक चानणसिंह पुत्र बग्गासिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 113/45 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.1440 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 331/393 (37) के किला नं. 5/3 की 0.0030 है०, 6/2 की 0.0030 है० व प० नं० 332/392 (21) किला नं. 21/2 की 0.2400 है०, 22/1 0.2410 है० व प० नं० 332/393 (38) किला नं. 1, 2, 9, 10 की 1.012 है० व प० नं० 333/392 (20) किला नं. 11, 19, 20 की 0.759 है०, 22/2 की 0.1270 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प० नं० 332/392 (21) के किला नं. 12, 19, 20 की 0.759 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम ब० हि० ब० दर्ज किया जावे व खाता संख्या 36/27 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.4910 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 एवं मृतक चानणसिंह पुत्र बगासिंह का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 330/394 (43) के किला नं. 16/1 की 0.2280 है० व प० नं० 331/394 (42) किला नं. 4, 5 की 0.506 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प० नं० 330/394 (43) किला नं. 17 की 0.2530 है०, 24/1 की 0.0060 है० मु० रास्ता, 24/2 की 0.247 है० 25/2 की 0.2200 है०, 25/3 की 0.0070 है० मु० रास्ता प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प० नं० 331/393 (37) के किला नं. 8, 9, 12, 13 की 1.012 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जावे व प० नं० 331/393 (37) के किला नं. 16, 17, 24, 25 की 1.012 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 35/26 के कुल खसरे 24 की कुल तादादी 4.0480 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व मृतक चानणसिंह पुत्र बगासिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 12 केएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 24/23 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 3.2890 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 2, 4 एवं मृतक चानणसिंह पुत्र बग्घासिंह का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 322/387 (54) के किला नं. 13, 14, 18, 19, 20 की 1.265 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज किया जावे व प० नं० 322/387 (54) के किला नं. 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 की 2.024 है० का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/11/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर